कार्यालय, नगर पालिक निगम कोरबा (छ.ग)

मुख्य कार्यालय – संपदा शाखा, साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)
फोन नं. 221288–222672, फैक्स :– 07759–221288, 221929
Website: www.korbamunicipal.in, Email Id-corporationkorba@gmail.com

फा.क्र./15/संपदा/2025 13313 कोरबा, दिनांक 25/11/25

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनांतर्गत पटेल नगर बाम्बे आवास के समीप विभिन्न वर्ग के रिक्त दुकानों का आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा राज्य शासन की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनांतर्गत पटेल नगर बाम्बे आवास के समीप निम्नलिखित तालिका में दर्शाए अनुसार विभिन्न वर्ग के रिक्त कुल **16** दुकानों को **03** वर्ष की लीज पर आबंटन हेतु **दिनांक 26/11/2025 से 26/12/2025 तक** पात्र हितग्राहियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र **रूपये 100/–** शुल्क जमा कर नगर पालिक निगम कोरबा के संपदा शाखा से प्राप्त की जा सकती हैं।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के युवक/युवती जिनके पास स्वयं का कोई रोजगार साधन नहीं है तथा जिनके अभिभावक व पालक की आय एक लाख रूपये प्रतिवर्ष तक की है, इस योजनांतर्गत दुकानों के आबंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु पात्र होंगे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र तथा आरक्षित वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र व निगम क्षेत्र में निवास का प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज आवेदक, आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर राशि **रू. 5000/–** की जमा अमानत राशि की रसीद की प्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदनों में दुकानों का आबंटन हेतु आबंटितियों का चयन जिला स्तरीय समिति के द्वारा किया जावेगा। चयनित हितग्राहियों द्वारा जमा अमानत राशि दुकान के सुरक्षा निधि में समायोजन कर लिया जावेगा। चयनित हितग्राहियों को यथा–स्थिति दुकान आबंटन पश्चात आधिपत्य के पूर्व सुरक्षा राशि के मद में रू. 5000/– निगम कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा

क्र.	क्षेत्रफल वर्गफीट में	अनु. जाति	अनु.ज.जा.	पिछड़ा वर्ग	विधवा/परित्यकता महिला	निःशक्त वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	शिक्षित बेरोजगार	महिला	अनारक्षित	कुल रिक्त दुकान
1	8 x 10	01, 20	—	—	04, 08	—	13	—	—	03	02, 07, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19	**16**

शर्ते :–

1. उपरोक्त स्थल की दुकानों का **मासिक किराया 1250/–** एवं लीज अवधि तीन वर्ष रहेगी।
2. दुकानों को यथा स्थिति आधिपत्य में लेना होगा।
3. आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र तथा अमानत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदन विचार योग्य नही होगा।
4. दुकान आबंटन की विशेष जानकारी/शर्ते नगर पालिक निगम कोरबा कार्यालय के संपदा शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

प्र. संपदा अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

Desktop/Dukan Nivida/latter 40